अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

गुरदेव सिंह बनाम अंग्रेज कौर आदि

धारा अन्तर्गत 88, 53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 77/2021

निर्णय दिनांक :- 02.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी संख्या 5, 16 के अधिवक्ता मदनलाल पटीर, प्रतिवादी संख्या 21/2 के अधिवक्ता भगवान दास** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 37 एफ पटवार हल्का धरिंगावाली भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 43/37 के मु.न. 8, 11, 33, 55/2 की कुल 10.423 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 16 के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरदेव सिंह पुत्र छिंया सिंह उर्फ छिन्दा सिंह जाति तरखान, निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर।	8	11	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
			19	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
			20	0.253 हैक्टर	नहरी	1.90
			18/1	0.137 हैक्टर	नहरी	1.02
			17/1	0.013 हैक्टर	नहरी	0.098
			16/1	0.013 हैक्टर	नहरी	0.098
2	शेर सिंह पुत्र टहल सिंह जाति तरखान, निवासी अरायण, तहसील श्रीकरणपुर।	8	16/2	0.240 हैक्टर	नहरी	1.80
			17/2	0.240 हैक्टर	नहरी	1.80
			18/2	0.116 हैक्टर	नहरी	0.87
			22/1	0.177 हैक्टर	नहरी	1.33

इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 03/11/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:53:09 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पैसा	मुदाअलेह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	504	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

गुरदेव सिंह बनाम अग्रेंज कौर आदि
अन्तर्गत धारा 53,88,91 आरटीए नम्बर 77 सन् 2020

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7.12.2021

आज यह पत्रावली प्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र छिंया सिंह उर्फ छिन्दा सिंह तरखान निवासी अरायण जरिए अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 152 सीपीसी के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 77/2020 अनवान गुरदेव सिंह पुत्र अग्रेंज कौर आदि में तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव में सहवन से मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 16/2 की 0.215 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.240 हैक्टर भूमि व किला नम्बर 22/1 की 0.202 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.177 हैक्टर भूमि पर शेर सिंह का कब्जा दिखाया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी संख्या 16 शेर सिंह के हिस्सा की कृषि भूमि के संबध में संशोधित विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर, संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 16/2 में 0.215 हैक्टर व किला नम्बर 22/1 में 0.202 हैक्टर नहरी रकबा पर शेर सिंह का कब्जा काश्त है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 16/2 में 0.240 हैक्टर रकबा दर्ज हो गया था। जबकि जमाबन्दी के अनुसार किला नम्बर 16/2 में 0.215 हैक्टर रकबा शेष बचता था व किला नम्बर 22/1 में 0.202 हैक्टर रकबा शेर सिंह के कब्जा काश्त में है।

लिहाजा यह एक लिपिकीय भूल है। जिसे सही किया जाना उचित है। अतः प्रकरण में पारित निर्णय मय डिक्री दिनांक 02.11.2021 में प्रतिवादी संख्या 16 शेर सिंह के हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 08 के किला नम्बर 16/2 में 0.240 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.215 हैक्टर व किला नम्बर 22/1 में 0.177 हैक्टर भूमि के स्थान पर 0.202 हैक्टर भूमि पढा जाने के [illegible] जाते हैं। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगें। संशोधित पर्चा डिक्री [illegible] जारी हो। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया [illegible] निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) ... पुर (श्री गंगानगर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:53:09 IST
Reason: SelfAttested